न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 222/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. सांवरिया लाल पिता नानूराम सुथार निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 01

प्रकरण संख्या – 223/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. भंवर लाल पिता मोती लाल जाट निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 31

प्रकरण संख्या – 225/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. लेहरू लाल पिता सुखदेव जाट निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 44

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रकरण संख्या – 226/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. सांवरिया लाल पिता नानूराम सुथार निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 58

प्रकरण संख्या – 229/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. भंवर लाल पिता लखमा राम जाट निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 63

प्रकरण संख्या – 235/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. लक्ष्मण लाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 86

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रकरण संख्या – 239/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती नन्दूदेवी पत्नी छौगा कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 60

प्रकरण संख्या – 240/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती नन्दूदेवी पत्नी छौगा कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 53

प्रकरण संख्या – 241/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. सांवरिया लाल पिता भैरूलाल कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 62

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रकरण संख्या – 242/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. सुवालाल पिता पन्ना लाल जाट निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत् पटटा संख्या 54

उपस्थित (उक्त सभी 10 प्रकरणों में)–

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीशचन्द्र दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.05.2023

निगराकार ने उक्त सभी 10 प्रकरणों में एक समान विषय वस्तु की गैर निगराकारान् के विरूद्व अलग अलग निगरानीयां पेश की हैं। उक्त सभी निगरानीयां एक ही प्रकृति की होकर अलग अलग पटटों को निरस्त किये जाने बाबत् निगरानीयां पेश की हैं। समान विषय वस्तु होने से उक्त सभी 10 निगरानी प्रकरणों में एक साथ निर्णय लिखाया जा रहा है।

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत किया हैं। कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड का आवासीय पटटा पैतृक भूमि मानते हुऐ जारी किया गया है, जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित भूमि का पटटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/–रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं, हस्ताक्षर किशन नायक के फर्जी किये गये हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जिनकी निगरानिया दर्ज है। तथाकथित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होकर 100 सो फीट रोड़ पर है जो ब्यावर अजमेर मुख्य मार्ग पर स्थित है जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होकर आवासीय व वाणिज्यिक भूमि है जो निलामी के जरिए ही ग्राम पंचायत उक्त भूमि को विक्रय कर सकती है जिससे कि ग्राम पंचायत परासौली को अधिकतम आय प्राप्त हो सके किन्तु ग्राम पंचायत परासोली के पूर्व सरपंच द्वारा पटटा बहियों को पंचायत व पंचायत समिति से गायब कर पटटे देकर लोगों से रूपये ऐंठ लिए, अनपढ ग्रामीण परिवेश के लोगों को फर्जी पटटे देकर लाखों रूपये हड़प लिऐ जिसके लिए सरपंच के विरुद्ध विभागीय एंव अनुशाषात्मक एवं फौजदारी कार्यवाही अलग से अमल में लाई जा रही है अतः तथाकथित पटटा विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी जो अपास्त होने लायक हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पटटा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावें ।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 28.12.2020 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तथाकथित भूमि का पटटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/–रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटट्े ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व मे खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पटटा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिक प्रकिया अपनाकर मजमे आम में प्रश्नगत पटटा जारी किया हैं। ग्राम

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के तहत प्रश्नगत पटटा जारी किया गया हैं, जिसमें पटटाधारी का उस भूखण्ड पर 50 वर्ष या अधिक समय का कब्जा मुख्य आधार माना जाता हैं। तत्कालीन सचिव द्वारा जारीशुदा पटटों का पंजीयन कराया गया। पंजीयन दस्तावेजात में तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर किये हुये हैं। जिससे जाहिर होता हैं कि पटटे विधि तौर जारी किये गये हैं, उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी हैं। प्रश्नगत पटटे की फोटोप्रति पेश की जा रही हैं जिसमें तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर हो रखे हैं। ऐसे में यह सिद्ध होता हैं कि प्रश्नगत पटटा विधिनुकुल सही तौर जारी किया गया हैं उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही होने से निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पटटा संख्या 53, 44, 58, 31, 62, 63, 86, 54, 01, 60 दिनांक 05.09.2019 की वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली द्वारा प्रस्तुत पटटा संख्या 53, 44, 58, 31, 62, 63, 86, 54, 01, 60 दिनांक 05.09.2019 की सत्यापित प्रति से परीक्षण करने पर जाहिर होता हैं कि पटटा संख्या 53, 62, 86, 54, 01, 60 पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर हैं एवं पटटा संख्या 44, 58, 31, 63 पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर हैं, सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा उक्त सभी पटटों में किसी पर भी सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटा विधिक रूप से पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि तत्कालिन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली श्री किशनलाल नायक ने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.11.2020 को आम सूचना प्रकाशित करवायी गयी जिसमे सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये, ग्राम पंचायत के स्वामित्व में खाली भूखण्ड है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जिनकी निगरानिया दर्ज है।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नही हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है।

प्रश्नगत पटटे के संबंध में तत्कालीन सचिव एवं प्रस्तुत निगरानी में वर्तमान सचिव के जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु दोनों को पटटे के संबंध में मूल रिकार्ड के साथ तलब किया गया। वर्तमान सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल रिकार्ड से पत्रावली पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

उपलब्ध दस्तावेजात का मिलान किया जाकर गहनता से परीक्षण किया गया। जिसमे पाया गया कि पटटे पर तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नही हैं एवं मूल पटटा बही में भी द्वितीय व तृतीय परत पर भी तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटे पूर्णतया विधि विपरीत जारी किये गये हैं। वर्तमान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा अपने जवाब में भी उक्त प्रश्नगत पटटे को विधि विरूद्व मानते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज परीक्षण में पाया गया कि तहसीलदार आसीन्द के आदेश दिनांक 21.11.2022 के कम में पटवार हल्का परासोली का पर्चा मौका दिनांक 22.11.2022 अनुसार – ग्राम परासोली के आराजी नं. 8, 13, 1551 मोके पर खाली होकर अंग्रेजी बबूल खड़े हुये हैं। आराजी नं. 13 में मौके पर नाडी बनी होकर भराव क्षैत्र हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 58 जारी दिनांक 05.09.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है।

पटटा दिनांक 05.09.2019 को कार्यरत सचिव ग्राम पंचायत परासोली ने खाली भूखण्डों/नाड़ी भराव क्षैत्र वाली भूमि के पटटे विधि विरूद्व तरीके से जारी कर, सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद कई पटटो के पंजीयन दस्तावेजात पर स्वयं के हस्ताक्षर किये जाने का कार्य किया हैं, जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। अतः विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 के पंजीयन/बिना पंजीयन दस्तावेज की फोटोप्रति से तत्कालिन सचिव के हस्ताक्षर का इस पत्रावली पर उपलब्ध पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 पर तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से मिलान किया जाकर एवं तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर किये जाने व नही किये जाने की सत्यता की पूर्ण जाचंकर, यदि जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सचिव दोषी पाया जाता हैं तो, तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत परासोली के विरूद्व उक्त प्रश्नगत पटटों के संबंध में विभागीय जांच की जाकर, सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जाना युक्तियुक्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत उक्त 10 निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत उक्त 10 निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 01, 31, 44, 58, 63, 86, 60, 53, 62, 54 किता 10 पटटे, जारी दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता हैं। पटटा दिनांक 05.09.2019 को कार्यरत सचिव ग्राम पंचायत परासोली ने खाली भूखण्डों/नाड़ी भराव क्षैत्र वाली भूमि के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पटटे विधि विरूद्ध तरीके से जारी कर, सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद कई पटटो के पंजीयन दस्तावेजात पर स्वयं के हस्ताक्षर किये जाने का कार्य किया हैं, जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। अतः विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 के पंजीयन/बिना पंजीयन दस्तावेज की फोटोप्रति से तत्कालिन सचिव के हस्ताक्षर का इस पत्रावली पर उपलब्ध पटटा संख्या 58, 44, 31, 63, 86, 60, 53, 62 पर तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से मिलान किया जाकर एवं तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर किये जाने व नही किये जाने की सत्यता की पूर्ण जाचंकर, यदि जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सचिव दोषी पाया जाता हैं तो, तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत परासोली के विरूद्व उक्त प्रश्नगत पटटों के संबंध में विभागीय जांच की जाकर, सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जावे। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उक्त सभी 10 निगरानी प्रकरणों में अलग अलग संलग्न की जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा